न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2018 नामान्तरकरण अपील

1. ओमप्रकाश
2. रामेश्वर

} पि0 हीरालाल जाति महाजन निवासी ग्राम राहुवास तिबारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 59 वाके ग्राम राहुवास तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा बाबत आदेश दिनांक 10.3.1980

उपस्थिति :– 1. कमलेश कुमार सैनी अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांकः 26.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं06रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम राहूवास तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है। जिसमें हिस्सा 1/3 राधेश्याम, शिवप्रसाद पि0 भौंरीलाल महाजन निवासी कल्याणपुरा द्वारा क्रय की गई जिसके उपरान्त रामेश्वर प्रसाद, ओमप्रकाश पि0 हीरालाल अपीलान्ट्स ने खसरा नम्बर 6 की 880 वर्गगज भूमि को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु रा0भू0रा0 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियम 1971 के अनुसार अपीलान्ट्स ने सक्षम अधिकारी के यहां दिनांक 25.10.78 को आवेदन किया जिसे दिनांक 22.1.79 द्वारा स्वीकार कर उक्त 880 वर्गगज भूमि का आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन हेतु स्वीकृति रामेश्वर , ओमप्रकाश अपीलान्ट्स के नाम यह अंकित करते हुये प्रचलित कर दी कि निर्णय 1975 ई0 से पूर्व इसलिये नियमित किया जाता है। अपीलांट्स ने आदेशानुसार रूपान्तरण शुल्क 220/–रूपये दिनांक 15.2.1979 को राजकोष में तहसीलदार लालसोट के कार्यालय में जमा करा दिये तथा भूमि राज0 सरकार को समर्पित कर दी तद्नुसार खसरा नं0 6 में से संपरिवर्तित भूमि रकबा 6 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 10.3.80 को सिवायचक के रूप में स्वीकार किया गया जिसमें सिवायचक (राजहक) में स्वीकार कर अंकित कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की अपीलांट्स द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6 में से 880 वर्गगज भूमि को नियमानुसार संपरिवर्तित करवाई गई तथा उक्त संपरिवर्तन के पश्चात संपरिवर्तित भूमि 880 वर्गगज को नियमानुसार आबादी भूमि के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण में उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो कानूनी भूल है। अपीलांट द्वारा संपरिवर्तित करवाई गई भूमि पर अपीलांट्स ने सड़क सीमा छोडकर पूर्व मुखी दुकानात गैलेरी तथा पीछे रिहायशी मकानात का निर्माण सन 1975 में ही करवा लिया था जिन पर अपीलांट्स सपरिवार निवास करते हैं तथा दुकानात में व्यवसायिक कारोबार करते आ रहे हैं। मौके पर संपरिवर्तित आदेश अनुसार ही उपयोग किया जा रहा है परन्तु उक्त संपरिवर्तित भूमि सिवायचक(राजहक) में गलत प्रकार से अंकित कर दी गई। जबकि प्रश्नगत नामान्तरकरण में खाना संख्या 12 में गैमुमकितन आबादी दर्ज किया गया था। उक्त संपरिवर्तित रकबे में से भूमि वर्तमान में दौसा कोथून राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11ए के चौड़ाईकरण के लिए अवाप्ति की कार्यवाही की गई तथा खसरा नं0 6 के सभी खातेदारान के नाम मुआवजा राशि 327271/–प्रतिकर निर्धारित किया गया जबकि खसरा नम्बर 6 से पृथक हुई संपरिवर्तित भूमि खसरा नं0 299/6 में अपीलांट्स का ही निर्माण है जिसका मुआवजा हेतु अपीलांट्स द्वारा सक्षम अधिकार के द्वारा कार्यवाही कर रखी है। अपीलांट्स के हक व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अतः अपील स्वीकार फरमाकर नामांतरकरण सं0 59 वाके ग्राम राहुवास हाल तहसील रामगढ पचवारा बाबत तत्कालीन तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.3.1980 को निरस्त फरमाकर उसमें संपरिवर्तन आदेश दिनांक 22.1.79 अनुसार पुनः नामान्तरकरण अपीलांट्स के हक में दर्ज कर गैरमुमकिन आबादी(आवासीय व व्यवसायिक) दर्ज कर स्वीकार करने हेतु तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश फरमावें।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि जिलाधीश महोदय जयपुर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 22.1.79 में अंकित शर्तों के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण 59 दिनांक 10.3.1980 को तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी अपील दिनांक 22.5.2018 को माननीय न्यायालय के सक्षम पेश की गई है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात अपील पेश किये जाने के सम्बन्ध में कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य यह है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि को आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने के पश्चात संपरिवर्तन की गई भूमि को प्रश्नगत नामान्तरकरण में सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। जिसको अपीलान्ट्स के हक में दर्ज करने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 59 दिनांक 10.03.1980 ग्राम राहूवास हाल तहसील रामगढ पचवारा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावी रूपान्तरण नियमों का अवलोकन कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official